<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 237/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2024-25

बिरदीचंद जैन सेवा ट्रस्ट, 31, जीवनदीप कॉलोनी, इंदौर	बनाम	आयकर आयुक्त एक्जंप्शन, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएटीबी 8494 आर PAN- AAATB8494R		

अपीलार्थी की ओर से	श्री हर्ष विजयवर्गीय, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	01.08.2024
उद्घोषणा तिथि	01.08.2024

<u>आदेश</u>

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आदेश दिनांक 30.01.2024 के विरूद्ध अपील ज्ञापन में उल्लिखित आधारों पर निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने आयकर प्राधिकारियों के समक्ष सीबीडीटी के परिपत्र सं. 7/2024 दिनांक 25.04.2024 के निबंधनों में धारा 80जी(5)(i) के अधीन अंतिम

अनुमोदन/पंजीकरण प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया था तथा उसे धारा 80जी(5)(i) के अधीन अंतिम अनुमोदन/पंजीकरण 30.05.2024 को प्रदान किया गया है । निर्धारिती द्वारा अनुमोदन/पंजीकरण की प्रति भी दाखिल की गई है । उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि इस आदेश की प्राप्ति से निर्धारिती की शिकायत का निराकरण हो गया है, अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध क्यिा है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश दिनांक 01.08.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया

हस्ता/-	हस्ता/-
(विजय पाल राव)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 01.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल